

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रुप-3)

क्रमांक एफ 4(5)ग्रावि/नरेगा/शिकायत/2009-10

जयपुर, दिनांक 2/3/10

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान,
समस्त जिला।

2 Mar 2010

विषय :- नवनिर्वाचित सरपंचों को ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण चार्ज दिलवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 26.02.2010 को इंदिरा गांधी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान की अध्यक्षता में हुई संवाद बैठक में कई नवनिर्वाचित सरपंचों ने अवगत कराया है कि नवनिर्वाचित सरपंचों को ग्राम सेवक एवं सचिव द्वारा उन्हें ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण चार्ज नहीं दिया जा रहा है।

अतः निर्देश है कि अपने जिले में नवनिर्वाचित सरपंचों को निम्नांकित जानकारी शीघ्र उपलब्ध करावें ताकि नवनिर्वाचित सरपंच आत्मविश्वासपूर्वक अविलम्ब चार्ज ले सकें :-

1. पिछले कार्यकाल में हुये विकास कार्यों की सूची :-

- कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिसकी सी.सी. जारी हो चुकी है।
- वे पूर्ण कार्य कौन से हैं, जिसकी सी.सी. जारी नहीं हुई है।
- वे कौन से कार्य हैं, जो प्रगति पर हैं और आज तक इन पर कितना-कितना खर्च हुआ।
- प्रगति कार्यों पर हुये खर्च की कितनी यू.सी. जारी हुई है।

2. भुगतान की जानकारी :-

- कौन से कार्यों की राशि बकाया है।
- बकाया राशि का विवरण और किस कारण से बकाया है।

3. स्टॉक स्थिति की जानकारी :-

- नरेगा स्टॉक रजिस्टर में क्या-क्या सामग्री (मेटेरियल) है और शेष कितनी है।
- नरेगा स्टॉक रजिस्टर में स्थायी व अस्थायी सम्पत्ति व सामग्री क्या-क्या है और कितनी है।

4. रिकॉर्ड संबंधी जानकारी :-

- ग्राम पंचायत द्वारा क्या-क्या रिकॉर्ड संधारित किये जाते हैं और उसमें अन्तिम इन्द्राज कौन सी तारीख को किया गया और किस बाबत किया। इसका विवरण दें।

- ब. पुस्तैनी पट्टा बही की अन्तिम कम संख्या मय दिनांक और किसको जारी किया गया।
- स. आवासीय नियमन पट्टा बही की अन्तिम कम संख्या मय दिनांक और किसको जारी किया गया।
- द. निःशुल्क पट्टा बही की अन्तिम कम संख्या मय दिनांक और किसको जारी किया गया।

5. रोकड़ व खाता संबंधी सूचना :-

- अ. ग्राम पंचायत द्वारा कौन-कौन सी रोकड़ बही संधारित की जा रही है।
- ब. इन रोकड़ बहियों में अन्तिम प्रविष्टि किस दिनांक को की गयी है और इन में अन्तिम शेष/नगद राशि कितनी है।
- स. खातों (खतौनी) की स्थिति क्या है। खातों में यदि शेष है तो क्या है और किस कारण से है।
- द. पंचायत के खोते कौन-कौन सी बैंकों में है।
- य. इन बैंक खातों में आज कितनी राशि जमा शेष है।

6. पारदर्शिता बोर्ड संबंधित सूचना :-

- अ. कौन-कौन से सूचना पारदर्शिता के बोर्ड बने और कितने बने।
- ब. राज्य सरकार के आदेश अनुसार श्रम व सामग्री के बोर्ड कहाँ-कहाँ पर बने।


उक्त सूचना उपलब्ध करवाकर कृपया नवनिर्वाचित सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत का चार्ज लेने बाबत प्राप्ति रसीद ग्राम सेवक एवं सचिव द्वारा पंचायत समिति कार्यालय में प्राप्त करवा के इकजाई रिपोर्ट प्राप्त कर इस विभाग को सूचित करें।

ग्राम पंचायत चार्ज प्राप्ति रसीद

मैं श्री / श्रीमती ग्राम पंचायत
 पंचायत समिति जिला का/की नवनिर्वाचित सरपंच हूँ।
 मैंने आज दिनांक को ग्राम पंचायत का चार्ज प्राप्त कर लिया है।

हस्ताक्षर
 नवनिर्वाचित सरपंच

भवदीय



(सी.एस.राजन)

प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास
 एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि- मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक समस्त
 जिला परिषद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।